



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 9 नवम्बर, 2020

कार्तिक 18, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-2

संख्या 451/23-2-2020-56(सा0)-2020

लखनऊ, 09 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

प०आ०-297

चूँकि, राज्य सरकार की यह राय है कि जिला सीतापुर में किवानी नदी के शिवपुर देवरिया घाट पर एक नए सार्वजनिक नौघाट की आवश्यकता है;

अतएव, अब, उत्तरी भारत नौघाट अधिनियम, 1878 (अधिनियम संख्या 17 सन् 1878) की धारा 4 के खण्ड (ग) और (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची में यथा दर्शित सीमाओं के भीतर जिला सीतापुर के शिवपुर देवरिया घाट पर एक नया सार्वजनिक नौघाट स्थापित करती हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन, राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि पूर्वोक्त दिनांक से, जिला सीतापुर के शिवपुर देवरिया घाट पर पूर्वोक्त सार्वजनिक नौघाट का तत्कालिक अधीक्षण, अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर/खीरी वृत्त, लोक निर्माण विभाग, सीतापुर में निहित होगा।

अनुसूची

जिला का नाम	नदी के दोनों ओर पर परगना के नाम	नदी के दोनों ओर पर ग्राम के नाम	नदी का नाम जिस पर नौघाट स्थापित किया जाना है	नौघाट का नाम
1	2	3	4	5
सीतापुर	महमूदाबाद	शिवपुरदेवरिया, खरथरी, पासिनपुरवा, दयारामपुरवा, राजापुर, रजपारापुर, देहाला	किवानी नदी	शिवपुर देवरिया घाट
	रेउसा	ग्वारी, लोनियनपुरवा, जुडिया, सुजातपुर, लोदेपुरवा		

नौघाट की सीमा					
नौघाट की श्रेणी	किनारा	धारा के प्रतिकूल	दूरी	धारा के अनुकूल	दूरी
6	7	8	9	10	11
"सी"	दायां-बायां	धरमपुर घाट पक्का पुल	3.400 किमी०	चंदौली घाट पक्का पुल	6.000 किमी०

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 451/XXIII-II-2020-56(Sa)-2020, dated November 09, 2020 for general information:

No. 451/XXIII-II-2020-56(Sa)-2020
Dated Lucknow, November 09, 2020

WHEREAS the State Government is of the opinion that a new public ferry is needed on the Kiwani River at Shivpur Deoria Ghat in district Sitapur;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clauses (c) and (d) of section 4 of the Northern India Ferries Act, 1878 (Act no. XVII of 1878), the Governor is pleased to establish, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, a new public ferry on the Shivpur Deoria Ghat in district Sitapur within its limits as shown in the Schedule below.

Under section 6 of the said Act, the Governor is further pleased to direct that with effect from the aforesaid date, the immediate superintendence of the aforesaid public ferry at Shivpur Deoria Ghat in district Sitapur shall vest in the Superintending Engineer, Sitapur/Khiri Circle, Lok Nirman Vibhag, Sitapur.

SCHEDULE

Name of District	Name of the Pargana on both sides of the river	Name of Village on both sides of the river	Name of the river on which ferry is to be established	Name of the Ferry
1	2	3	4	5
Sitapur	Mahmudabad	Shivpurdevariya, Kharatri, Pasinpurwa, Dayarampurwa, Rajapur, Rajparapur, Dehala	Kiwani river	Shivpur Deoria Ghat
	Reusa	Gwari, Loniyanpurwa, Judiya, Sujatpur, Lodepurwa		

Limit of Ferry

Class of Ferry	Bank Edge	Upstream	Distance	Down Stream	Distance
6	7	8	9	10	11
"C"	Left-Right	Dharampur Ghat Pakka Pul	3.400 Km.	Chandauli ghat Pakka Pul	6.000 Km.

By order,
NITIN RAMESH GOKARN,
Pramukh Sachiv.